मु० नं० 19124

27/6/25 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उपा। तहसीलदार नादर्ई द्वारा पत्रांक 635 दिनांक 25/6/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ~~कुमरसिंह~~ कुमरसिंह बंजारा पुत्र विजेन्द्र सिंह बंजारा के स्थान पर कुमरपाल पुत्र विजेन्द्र दर्ज हो गया है। जो गलत दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार नादर्ई की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। मुता० तहसीलदार रिपोर्ट हाल खं. नं. 1758 रकबा 0.27 है वाके ग्राम जहांगीरपुर हिस्सा 01/15 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कुमरपाल पुत्र बिजेन्द्र जाति बंजारा दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में कुमरसिंह बंजारा पुत्र बिजेन्द्र सिंह बंजारा नाम दर्ज रिकार्ड है।

अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र 136 LRA स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जहांगीरपुर के खसरा नं. 1758 रकबा 0.27 है. में कुमरपाल पुत्र विजेन्द्र जाति बंजारा के स्थान पर कुमरसिंह बंजारा पुत्र विजेन्द्रसिंह बंजारा जाति बंजारा किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner